



2026:AHC:7197

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19367 वर्ष 2025

सौरभ पटेल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अखिलेश कुमार, योगेश कुमार पटेल
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार को सुना और इस तथ्य के बावजूद कि रिट याचिका की प्रति भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में तामील की गई है, प्रतिवादी गणों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनके पिता को शुरू में 17.01.1990 को निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनकी मृत्यु 07.08.2020 को हो गई थी। रिट याचिकाकर्ता खुद को विधिक उत्तराधिकारी और मृतक का बेटा होने का दावा करता है, हालांकि, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके दावे पर विचार नहीं किया गया है।
3. न्यायालय में इस तरह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 22.01.2026 तक तीसरे प्रतिवादी, आयुक्त, माल और कर, आयुक्त, कानपुर के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, तीसरा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिवादी पात्रता, उपयुक्तता और प्रतिस्पर्धी दावों को ध्यान में रखते हुए तीन माह के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा, यदि पहले से ही दावे पर निर्णय नहीं लिया गया है।

4. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

जनवरी 12, 2026

राजेश

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।